न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी

राजस्व अपील संख्या 101/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– भारमल राम के का0मुकाम– 1.1– हीरा पत्नी भारमलराम 1.2– गंगाराम पुत्र भारमलराम 1.3– बंशीलाल पुत्र भारमलराम 1.4–श्रीमती लादू पुत्री भारमलराम 1.5–श्रीमती सुवटी पुत्री भारमलराम 1.6–श्रीमती बेबी पुत्री भारमलराम 1.7–श्रीमती केली पुत्री भारमलराम सभी जातियान विश्नोई निवासी खेतनगर, केतुकलां, तहसील बालेसर जिला जोधपुर 2– माणकराम पुत्र धोकला उर्फ धोकलराम 3– बिरबलराम पुत्र धोकला उर्फ धोकलाराम 4– नारायणराम उर्फ नराणाराम पुत्र धोकला उर्फ धोकलराम जाति विश्नोई निवासीगण ग्राम पल्ली तहसील ओसियां, जिला जोधपुर		1– सरपंच ग्राम पंचायत पल्ली 2– रामकिशन पुत्र स्व0 अमलुराम के का0मुकाम– 2.1– हीराराम पुत्र स्व0 रामकिशन 2.2– छोगाराम पुत्र स्व0 रामकिशन 2.3– चुनाराम पुत्र स्व0 रामकिशन 2.4– भगवानराम पुत्र स्व0रामकिशन 2.5– करनाराम पुत्र स्व0 रामकिशन 2.6– मुमा पुत्री स्व0 रामकिशन 2.7– खमा पुत्री स्व0 रामकिशन सभी जातियान विश्नोई निवासी खेतनगर केतुकलां तहसील बालेसर, जिला जोधपुर 3– हरदासराम पुत्र स्व0 अमलुराम 4– मानाराम पुत्र स्व0 अमलुराम के का0मुकाम – 4.1– भागीरथ पुत्र स्व0 मानाराम 4.2– लक्ष्मण पुत्र स्व0 मानाराम 4.3– फुली पत्नी स्व0 मानाराम जातियान विश्नोई निवासीगण ग्राम पल्ली हाल केतु, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–06–2016 जो उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा राजस्व लोक अदालत केम्प पल्ली फस्ट मे अपील संख्या 9/2015 मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री सुगनमल परिहार अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री रूघाराम चौधरी अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2/4 की ओर से ।
3– शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 25–4–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पल्ली तहसील ओसियां के 2 खसरा नंबरान 281 एवं 400 की कुल 69 बीघा 17 बिस्वा भूमि अपीलांट संख्या 1 से 4 भारमलराम, माणकराम, बिरबलराम, नारणाराम पि0 धोकलाराम के खातेदारी की थी । उक्त खातेदारी भूमि के संबंध मे नामांतरकरण संख्या 441 बंटवाडे के आधार पर ऑथ कमिश्नर जोधपुर के आदेशानुसार भरकर पेश किया गया जिसमे भारमलराम, माणकराम, बिरबलराम, नारणाराम पि0 धोकलाराम (वर्तमान अपीलांटगण) का 1/2 हिस्सा तथा रामाकिशन, हरदास, मानाराम पि0 अमलुराम (वर्तमान रेस्पो0गण) का 1/2 हिस्सा दर्ज किया तथा उक्त नामांतरकरण सरपंच ग्राम पचांयत पली द्वारा दिनांक 1–9–75 को स्वीकृत किया ।

उक्त नामांतरकरण संख्या 441 की जानकारी अपीलांटगण को होने पर अधीनस्थ न्यायालय मे वर्ष 2015 मे प्रथम अपील धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के साथ पेश की गई। जो अधीनस्थ न्यायालय मे दर्ज रजिस्टर की जाकर नियमित कोर्ट मे दिनांक 4–5–16 तक नोटिस तामिली मे चल रही थी परंतु पत्रावली को लोक अदालत/केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत पली ा मे रखते हुए अपील को मयाद के बिन्दु पर ही दिनांक 17–6–2016 को खारीज कर दी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपील नियमित कोर्ट मे रेस्पो0 की तामिल एवं रेकर्ड तलबी मे विचाराधीन थी तथा उसमे तारीख पेशी दिनांक 4–5–2016 को नियत थी उसके बाद की कोई आदेशिका ड्रॉ ही नही हुई तथा अपील पत्रावली को बिना किसी आदेश के एवं केम्प के नोटिस व सूचना के सीधे दिनांक 17–6–2016 को लोक अदालत/केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत पली ा मे रखते हुए अपीलांट को सुने बिना ही अपील को मयाद के बिन्दु पर खारीज करने का आदेश पारित कर दिया, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत एवं न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना प्रकट है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि न्यायालय मे ऐसे लंबित प्रकरण जिनमे पक्षकारान के बीच विवाद हो तथा महत्वपूर्ण विवाद बिन्दु विचाराधीन हो तो ऐसे प्रकरणो को केम्प मे ले जाकर निर्णित किया ही नही जा सकता था केम्प मे केवल आपसी समझौते से ही प्रकरणो को पक्षकारो की सहमति से निर्णित करने के निर्देश थे परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किये बिना ही अपील को बिना अपीलांट को सुने ही केवल मयाद के बिन्दु पर खारीज करने मे विधिक भूल की है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे विलंब से प्रस्तुत अपील के साथ जो धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र व शपथपत्र पेश किया था उसका कोई जवाब या खण्डन रेस्पो0 द्वारा नही करने से प्रार्थना पत्र वर्णित अखण्डित कथनो को सही माना मानते हुए अपील को अंदर मयाद सुमार कर प्रकरण का गुणावगुण्प पर परीक्षण कर बाद सुनवाई के अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाना चाहिये था, परंतु ऐसा नही कर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, वह विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 441 स्वीकृति का जो आधार बताया गया है, वैसा कोई बंटवाडा कभी हुआ ही नही था तथा यह भी कथन किया कि विभाजन केवल सह खातेदारान के बीच ही किया जा

सकता है इसलिए अपीलाधीन म्युटेशन प्रारंभ से ही शून्य था तथा ऐसे शून्य नामांतरकरणो के विरूद्ध प्रस्तुत अपील मे मयाद का बिन्दु गौण हो जाता है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु पर गौर किये बिना सरसरी तौर पर अपीलांट की अपील को मयाद के बिन्दु पर खारीज करने मे विधिक भूल की है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रावधान दाण्डिक नही है बल्कि उक्त प्रावधान न्याय का मार्ग प्रसस्त करते है, जहां प्रकरण गुणावगुण पर सारवान हो तो मयाद के बिन्दु को गौण समझते हुए प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना चाहिये, मयाद जैसे तकनीकी बिन्दुओ पर मुकदमे को निस्तारित नही किया जा सकता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17–6–2016 एवं अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 441 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलांटगण एवं रेस्पो0गण एक ही परिवार के सदस्य है । रेस्पो0गण रामाकिशन वगैरा ने अपीलांटगण के विरूद्ध वर्ष 2014 मे एक दावा बाबत खातेदारी घोषणा, रेकर्ड दुरस्ती एवं स्थाई निषधाज्ञा का पेश किया था जिसमे अन्य भूमियो के साथ अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 441 मे वर्णित खसरा नंबरान 281 व 400 की भूमियां भी शामिल है । उक्त दावे के नोटिस अपीलांटगण को तामिल होने व जानकारी होने पर दावा प्रस्तुत होने के बाद अधीनस्थ न्यायालय मे उक्त म्युटेशन संख्या 441 के विरूद्ध 40 वर्ष विलंब से अपील पेश की जिसके साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे वर्णित कारण संतोषप्रद नही होने से अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की प्रथम अपील को मयाद के बिन्दु पर ही खारीज करने का जो आदेश पारित किया है, उसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पे0 ने कथन किया कि जब अपीलाधीन भूमि के संबंध मे पक्षकारान के बीच खातेदारी घोषणा का वाद विचाराधीन है तो उक्त विचाराधीन वाद के निर्णय से ही अपीलांट के हक अधिकारो का निर्धारण होना है, म्युटेशन अपील की कार्यवाही समरी कार्यवाही है, जिसके द्वारा हको का निर्धारण संभव नही है इसलिए अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने अपनी बहस के दौरान फार्म नंबर 3 के सलंग्न पक्षकारान के बीच विचाराधीन नियमित वाद की प्रति, प्रस्तुत वर्तमान अपील अनुसार ही अन्य अपील मे उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा मयाद के बिन्दु पर पारित किये गये

निर्णय के विरूद्ध इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपीलो मे पारित किये गये निर्णयो की प्रतियां पेश की तथा न्यायालय का ध्यान इसकी ओर दिलाया तथा अपीलांटगण की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, आदेशिकाए, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय तथा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 441 आदि का अध्ययन किया । नामांतरकरण संख्या 441 जो कि बंटवाडे के आधार पर भरा गया है तथा ओथ कमिश्नर जोधपुर के आदेश अनुसार नामांतरकरण भरा जाना उल्लेख किया गया है, जिसे सरपंच ग्राम पंचायत पली द्वारा स्वीकृत किया है ।

उक्त नामांतरकरण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय मे उक्त अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर नियमित सुनवाई मे चल रही थी तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 3–12–2015 अनुसार रेस्पो0 के नोटिस तामिल मे चल रही थी तथा आगामी पेशी दिनांक 18–12–2015 को नियत की गई । पत्रावली मे दिनांक 18–12–2015, दिनांक 21–1–2016 एवं दिनांक 30–3–2016 को सीलनुमा आदेशिकाओ मे न तो पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर है और न ही न्यायालय के रीडर के हस्ताक्षर है । दिनांक 30–3–2016 की सीलनुमा आदेशिका मे आगामी पेशी दिनांक 4–5–2016 को मुकर्रर थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे दिनांक 4–5–2016 की कोई आदेशिका लिखी हुई नही है, न ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे दिनांक 17–6–2016 के कोर्ट केम्प के नोटिस या सूचना बाबत कोई दस्तावेज उपलब्ध है, जिससे यह प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये पारित किया है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत होने से समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान फार्म नंबर 3 के सलंग्न इसी न्यायालय के कतिपय निर्णय प्रस्तुत किये है उसके संदर्भ मे स्पष्ट करना प्रासंगिक है कि वर्तमान प्रकरण के तथ्य व इस न्यायालय द्वारा निर्णित प्रकरणो के तथ्य भिन्न है । रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दावे की प्रति के अवलोकन से यह प्रकट है कि दावा रेस्पो0गण की ओर से प्रस्तुत किया गया है । अतः अपीलाधीन भूमि मे रेस्पो0गण के हक अधिकारो का विनिश्चय दावे से ही होगा ।

ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय स्तर पर प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया जाकर पुनः निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित समझते हुए उक्त अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17–6–2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को

इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी पक्षो को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर मयाद बिन्दु एवं गुणावगुण पर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे ।

निर्णय आज दिनांक 25–4–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर